



Hkkj rh; i k&+ f' k{kk I ?k

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरन्तर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है। डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है।

संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र-पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। संघ, नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा प्रायोजित डेलनेट से भी सम्बद्ध है। संघ द्वारा अभी हाल में प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाइफलॉग एजुकेशन) की स्थापना भी कर दी गई है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशनस' एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक ब्यूरो आफ एडल्ट एजुकेशन' एवं 'इण्टरनेशनल काँसिल आफ एडल्ट एजुकेशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

Hkkj rh; i k&+ f' k{kk I ?k

17-वी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110002

दूरभाष: 011-23379282, 23378436, 23379306

फैक्स: 011-23378206, ई-मेल: proudhshiksha@gmail.com

directoriatea@gmail.com

website: www.iaea-india.org; www.iale.org

i kS +

bl vā eā

f' k{kk

vXlr 2010
o"l 54 vā&1

I Ei kn d e. My

I j {kd

प्रो. भवानी शंकर गर्ग

v/; {k

कैलाश चौधरी

इन्दिरा पुरोहित

ए.एच.खान

प्रफुल्ल नागर

के.आर. सुशीले गौडा

डा. विद्याविन्दु सिंह

डा. मदन सिंह

I gk; d I Ei kn d

बी. संजय

Vā.k , oa : i l Ttk

कृष्ण सिंह

I Ei kn dh;

2

D; k Hkkjr dh foLefr gh bāM; k dh vflerk dh
cfu; kn cuxh\

—अच्युतानंद मिश्र

3

cky Je l s ePr dj k; s x; s cPpkā dks cky Je

fo | ky; eā i zōk dj kus ds i ' pkr- muds ekrk&fi rk dh
jk; dk v/; ; u

—ए.एन.सिंह, राजेश कुमार

7

xkeh.k o 'kgjh {ks= eā v/; ; ujr Nk=kvkā eā efgyk
l 'kDrhdj.k Lrj dk ryukRed v/; ; u

—अशोक प्रताप सिंह

23

Hkkjr dk vkfnokl h l ekt vj ml ds vflRro dk l dV

&राम प्रताप यादव

28

ns'k ds Hkkoh d. kZ/kkjkā ij dgj <gkrh vkt dh
f' k{kk&i j h{kk

—भारती जोशी

33

मूल्य: 100 रुपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

लाल किले के प्राचीर से

चौसठवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि "हम एक ऐसे नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो। एक ऐसा भारत जो समृद्ध हो, जिसके सभी नागरिक अमन-चैन के माहौल में सम्मान की जिंदगी बसर कर सकें। ऐसा भारत, जिसमें लोकतांत्रिक तरीकों से हर मुश्किल को हल किया जाए। एक ऐसा भारत, जिसमें हरेक नागरिक के बुनियादी अधिकार सुरक्षित हों।" ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत तक का आरक्षण आदि कानूनों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उल्लेख किया। निश्चित ही ये सभी कार्यक्रम देश में आम जनता की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।

इन सबके साथ 17 अगस्त 2010 को जन सूचना संरचना एवं आविष्कारों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार साम पित्रोदा के नेतृत्व में राष्ट्रीय आविष्कार परिषद की गठन, तकनीकी विकास पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी विकास समन्वय बोर्ड तथा राष्ट्रीय तकनीकी विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में प्रारम्भ की गई राष्ट्रीय तकनीकी विकास मिशन एवं देश के 300 पिछड़े जिलों में 700 नये पोलिटेक्निक कॉलेज खोले जाने अथवा मौजूदा कॉलेजों के उन्नयन आदि की घोषणा से भी उपरोक्त लक्ष्य को पर्याप्त मजबूती मिलेगी।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने देश की प्रगति एवं आनेवाले दशकों में इस हेतु आवश्यक तकनीकी रूप से पुष्ट मानव संसाधन की जरूरत को पूरा करने के लिए सन 2022 तक 50 करोड़ लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय तकनीकी विकास मिशन निश्चित ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित 700 नये पोलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना से, जिसके लिए सरकार प्रति कॉलेज दो करोड़ रुपये प्रदान करेगी, देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संरचना में उल्लेखनीय विस्तार होगा। स्वाभाविक है, यह प्रशिक्षित मानव संसाधन यदि समय और संसाधन के परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों के मुताबिक संचालित होता है तो देश एवं आम समाज प्रगति की नयी उंचाईयां प्राप्त कर सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय आविष्कार परिषद की भूमिका अत्यन्त उल्लेखनीय होगी। कहा जाता है कि किसी अन्य का अनुकरण या अनुसरण करने वाला सदा ही मूल व्यक्ति के अधीन अथवा उसकी जरूरतों को ही परोक्ष रूप से पूरा कर रहा होता है। तात्पर्य यह कि राष्ट्रीय आविष्कार परिषद के समक्ष देश में शिक्षा एवं शोध को इस अनुरूप नवीन दिशा प्रदान करने की चुनौती होगी।

यद्यपि ये सभी घोषणाएं एवं प्रयास सकारात्मक हैं। इस दौर की कई घटनाएं यह भी बताती हैं कि सब कुछ ठीक-ठीक नहीं है। जब देश में करोड़ों लोग भूख के शिकार हो तब लाखों टन अनाज का सरकारी गोदामों में सड़ जाना, जिस देश में लाखों ऐसे विद्यालय हो जहां बच्चों के खेल पर व्यय हेतु आवश्यक धन न हो तब हजारों करोड़ों रुपये एक खेल समारोह पर व्यय किया जाना एवं उस पर भी घोर भ्रष्टाचारों का आरोप लगना निश्चित ही चिंताजनक है। व्यक्ति के विकास पर कार्य करने वाले शोधकर्ता प्रायः ऊर्जा क्षय (energy leak) को रोकने की बात करते हैं। ऐसे में सरकार, प्रधानमंत्री एवं सम्पूर्ण समाज पर यह जिम्मेदारी आती है कि विकास के मद्देनजर वह जन संसाधनों में हो रहे ऊर्जा क्षय को रोकने का हर सम्भव प्रयास करे।

— बी संजय

क्या भारत की विस्मृति ही इंडिया की अस्मिता की बुनियाद बनेगी?

vP; rkun feJ

भारतवर्ष की यही पहचान हमारे संविधान की पोथी में दर्ज है। 'इंडिया' के समर्थकों ने संविधान सभा में बहस के बाद भारत के समर्थकों के प्रस्ताव को पराजित कर यह विजय हासिल की थी। पंडित कमलापति त्रिपाठी और हरिविष्णु कामथ के प्रस्ताव को समर्थन न मिल सके इसको कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं ने सुनिश्चित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र हसरत मोहानी ने तो देश का नाम 'यूनियन आफ इंडियन सोशालिस्टिक रिपब्लिक' रखने का सुझाव दिया था। प्रत्येक देश के संविधान में उसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय स्मृति प्राण दायिनी शक्ति के रूप में अभिव्यक्त होती है लेकिन भारतीय संविधान में इससे ठीक उल्टा है। इसमें केवल औपनिवेशिक भारत की संस्कृति, शिक्षा और राज्य व्यवस्था पर मुहर लगाई गई है। गर्वनमेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 की 250 से अधिक धाराओं का संविधान में प्रवेश इसका प्रमाण है। इसकी विसंगतियों पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर अम्बेडकर, डाक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी जैसे अनेक वरिष्ठ सदस्यों ने कठोर टिप्पणियां की थीं। एक सदस्य लोकनाथ मिश्र ने संविधान के प्रारूप को अभारतीय घोषित करते हुए कहा था, 'अभारतीय से मेरा आशय यह है कि वह पश्चिम की गुलाम अनुकृति ही नहीं, उसके प्रति गुलामों जैसा समर्पण है।' उन्होंने यह भी कहा कि संविधान कई ऐसे सदस्यों ने भी रचा है जो अंग्रेज जाति के ज्ञान, गौरव, भाषा और तहजीब के सामने नतमस्तक थे। कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के भारत से जाने के पक्षधर नहीं थे। राजनीति, इतिहास, शिक्षा, प्रशासन और सभी सरकारी दस्तावेजों में 'इंडिया' भारत की पहचान के रूप में अंग्रेजी राज से ही दर्ज है लेकिन संविधान में भारत केवल 'देट इज' के रूप में उपस्थित है। संविधान सभा के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की मार्मिक टिप्पणी में पूरे भारत की पीड़ा अभिव्यक्त हुई थी। उन्होंने कहा कि 'वे अधिकृत तौर पर अपना दुख व्यक्त करते हैं कि भारत का संविधान किसी भारतीय भाषा में नहीं रचा गया। परिस्थिति चाहे जैसी रही हो वह क्षम्य नहीं हो सकती।' संविधान सभा ने महात्मा गांधी और उनके आदर्शों को खारिज करके ही संसदीय लोकतंत्र का सिद्धान्त स्वीकार किया था जिसे 1909 में ही गांधी जी अस्वीकार कर चुके थे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है 'वे देश भाग्यवान है जो चिरन्तन स्वदेश को देश के इतिहास में ही खोज लेते हैं। बचपन में ही इतिहास देश के साथ उनका परिचय करा देता है।' यूनानियों और अरबों ने हिन्द को 'इंडिका' और 'इंडिया' कहना कब से शुरू किया था इसका प्रमाणिक इतिहास तो नहीं मिलता लेकिन पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, ईसाई मिशनरियों के भारत आने और एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों के नाम बदलने और धर्मान्तरण

कराने के प्रमाण तो मौजूद हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार लेकर भारत आई 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' की सैनिक और कूटनीतिक सफलताओं का इतिहास इसका गवाह है कि भारत को इंडिया में बदलने का सिलसिला यही से शुरू होता है।

लंदन के व्यापारियों की इसी कम्पनी को मुगल बादशाह जहांगीर ने व्यापार करने और कारखाने खोलने की सुविधा दी थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव की विजय, 1761 में पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय, 1773 में 'रायल एशियाटिक सोसायटी' की स्थापना जैसी घटनाओं के महत्व को रेखांकित करना होगा जिन्होंने एक ओर बर्मा से पेशावर तक राजनैतिक प्रभुसत्ता कायम करने में मदद की और दूसरी ओर इतिहास, पुरात्व, भाषाशास्त्र और संस्कृति के क्षेत्र में उन विकृत स्थापनाओं को थोप दिया जिससे भारत को इंडिया के बौद्धिक उपनिवेश में भी बदला जा सके। मैक्समूलर, मैकाले या मार्क्स के बौद्धिक उत्तराधिकारी भारत में ही जन्में और पले बढ़े थे और आज के बौद्धिकों में भी उनका बहुमत है। 18वीं शताब्दी के अन्त में बंगाल और भारत के कई अन्य क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग योरोपीय जीवन शैली और अंग्रेजों के अमानुषिक राज्य का समर्थन करने लगा था। ईश्वर का वरदान समझने लगा था। रजनी पामदत जैसे मार्क्सवादी भी मानते हैं कि यह वर्ग सत्ता के सबसे अधिक लाभान्वित हुआ था। आर्यों का आक्रमण, वेदों की रचना, आर्य-द्रविड़ संघर्ष जैसी अनेक भ्रमपूर्ण स्थापनाओं को प्रचारित कर इतिहास को विकृत करने का काम इसी दौर में शुरू किया गया था जो आज भी जारी है। प्रागैतिहासिक भारत की भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक बहुलता को इतिहास की इन स्थापनाओं से अपार क्षति पहुंच रही है।

भारत की संकल्पना

भारत की अस्मिता और विशिष्टताओं को समझने के लिए उसके दार्शनिक चिन्तन और उदार जीवन दृष्टि को समझना जरूरी है। भारत की संकल्पना उन स्वप्नदर्शी ऋषियों के सार्वभौम धर्मवाले राष्ट्र की स्थापना है जिसमें पूरी वसुधा को एक कुटुम्ब और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया' की विश्वदृष्टि है। जिसमें मनुष्य ही नहीं सम्पूर्ण प्रकृति के प्रति सम्मान और अनुराग है। प्रत्येक मनुष्य को उसमें अन्तर्निहित दिव्यता और ऊर्जा के सृजनात्मक विकास का अवसर प्रदान करते हुए मानवता की सेवा के लिए देश काल के बंधनों से मुक्त करने की कोशिश है। भारतीय चेतना को समझने के लिए दर्शन, साहित्य, शिल्प, ललित कलाओं, पौराणिक कथाओं, उपासना पद्धतियों, कृषि व्यापार और हस्तशिल्प जैसे सभ्यतामूलक उपलब्धियों को गहराई से जानना जरूरी है। भारतीय भाषा परिवार में सदियों से हो रहे आदान प्रदान को समझना होगा जिसके कारण राष्ट्रीयता की आधारभूत समानताएं विकसित हुई हैं। इसी दृष्टिबोध ने हर युग में हमारे सामाजिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व को उत्प्रेरित किया है। पिछली सहस्राब्दि में कबीर, गुरुनानक, रामदास, रैदास, तुलसीदास, शिवाजी, गुरुगोबिंद सिंह, दयानन्द, विवेकानन्द, अरविन्द, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी सहित हजारों महापुरुषों ने लोकजागरण के माध्यम से भारत के लोगों को राष्ट्र पर न्यौछावर होने के लिए प्रेरित किया था। डाक्टर रामविलास शर्मा ने माना है कि भक्ति आन्दोलन उसकी सबसे शक्तिशाली

धारा थी। अंग्रेजी राज कायम होने के बाद नए तरह का सामन्तवाद कायम हुआ, 18 वीं सदी के उत्तरार्ध में साम्राज्य विरोधी, सामन्त विरोधी नवजागरण आरंभ हुआ। 1757 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश पर बलिदान होने की प्रेरणा ने ही भारतीय मनुष्य की जिजीविषा को अपराजेय बनाया था। इस अतीत को समझने, उससे संवाद करने और परिभाषित करने के लिए हर दौर के प्रतीकों, मिथकों और रणनीति का अध्ययन जरूरी है। 'रोटी और कमल', 'वन्देमातरम्', 'गणेशोत्सव', या 'चरखा' और 'अहिंसा' जैसे राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रतीकों के इतिहास और महत्व को देश की युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किए बिना उन्हें भारत की संकल्पना को समझाना असंभव है।

संविधान में 'इंडिया' की प्रतिष्ठा भारत का नया नामकरण या आधुनिक भारत की राजनीतिक पहचान नहीं है। यह भारत की पुर्नव्याख्या भी नहीं है क्योंकि इसमें भी संविधान की तरह भारत का जीवन दर्शन गायब है। ईस्टइंडिया कम्पनी के समय से ही इंडिया को भारत की परंपरागत सांस्कृतिक एकता, जीवनदर्शन, शिक्षा और इतिहास को मिटाने की सुनियोजित साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दो समानान्तर धाराएं चलती रही हैं। 1845 में जोसफ कनिंघम ने लिखा था 'काबुल से लेकर असम घाटी और श्रीलंका द्वीप तक हिन्दुस्तान एक देश माना जाता है। आज और दो हजार वर्षों से भी अधिक समय से हिन्दुस्तान एक आदर्श राजनीतिक एकता का उदाहरण प्रस्तुत करता है'। आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया की भूमिका में विन्सेन्ट स्मिथ ने लिखा 'इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में एक गहरी बुनियादी एकता है जो भौगोलिक अलगाव या राजनीति से उत्पन्न स्थितियों से अधिक शक्तिशाली है। यह एकता खून, रंग, भाषा, पोषाक और संप्रदाय जैसी असंख्य विभिन्नताओं से परे हैं।' इससे ठीक उल्टा अंग्रेज इतिहासकार जानसीले और जानस्ट्रेची ने लिखा 'भारत जैसा कोई देश ना है न कभी होगा। न कहीं भारतीय राष्ट्र है, न कहीं भारत की जनता।' 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध हिन्दू-मुस्लिम एकता से बौखलाई ब्रिटिश सरकार ने जिन बुद्धिजीवियों की मदद से एकता को तोड़कर द्वि-राष्ट्रवाद का बीज बोया था उनका उल्लेख रैम्जे मैकडोनाल्ड ने भी अपनी पुस्तक 'अवेकनिंग ऑफ इंडिया' में किया है। मैकडोनाल्ड बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। 1858 में सर सैयद अहमद खां ने अपनी किताब 'असबाब-ए-बगावते हिन्दू- मुस्लिम' में लिखा था 'चूंकि अंग्रेजों के हाथ में मुस्लिम हित पूरी तरह सुरक्षित हैं इसके कारण उन्हें अपने को सांस्कृतिक विकास तक सीमित रखना चाहिए। इससे वे राजनीति से अलग रहकर हिन्दुओं के राजनीतिक आंदोलनों को कमजोर करते रहेंगे'। इंडिया की संकल्पना केवल पश्चिमी देशों की राष्ट्र-राज्य की संकल्पना ही नहीं एक परंपरागत समाज को उसकी संस्कृति और जीवन मूल्यों से बहिष्कृत करने की साजिश है। विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक और ग्रामीण सभ्यता वाले देश को सबसे बड़े उपभोक्ता समाज में रूपांतरित करने का प्रयास है। पश्चिमी देशों की तरह भारत को भी उस युद्ध लोलुप समाज का हिस्सा बना देना है जो हथियारों, मशीनों और आर्थिक लूट की उपभोक्ता संस्कृति का गुलाम है। भारत के राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों या समाज विज्ञानियों के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि स्वतंत्र भारत में इंडिया और भारत के बीच

शासकों और शासितों जैसा धुवीकरण क्यों हो गया? सत्तर प्रतिशत लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय पचास रूपया प्रतिदिन से भी कम और तीस प्रतिशत लोगों के हाथ में नब्बे प्रतिशत आर्थिक संसाधन और प्रशासनिक सत्ता केन्द्रित कैसे हो गई? राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाषा, स्वदेशी और स्वराज जैसे स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दे कहां गायब हो गए जिनके आधार पर गांधी ने एक स्वावलम्बी और स्वाभिमानी देश का सपना देखा था। देशकाल के परिवर्तनों के साथ प्रगति मानव समाज की मौलिक प्रवृत्ति है। चीन और जापान ने भी पश्चिमी प्रभावों से अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं की बहुत हद तक रक्षा करते हुए विज्ञान, औद्योगीकरण और आधुनिकता को स्वीकार किया है। जिन देशों में पंथ, भाषा या संस्कृति के अभियान को राजनीतिक सत्ता हथियाने का हथियार बनाया जाता है वहां सहज सामाजिक न्याय और मानवीय विवेक को भी कट्टरता में बदल दिया जाता है। बीसवीं सदी अगर वैज्ञानिक उपलब्धियों की सदी है तो साथ ही युद्धों, राजनीतिक और आर्थिक उपनिवेशों के साथ हिंसक आतंकवाद की भी सदी है। परमाणु विस्फोट के बराबर ही गंभीर खतरा यह भी है कि मनुष्य चेतना को अधिक नैतिक, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण बनाने वाली शिक्षा और शिक्षक दुनियां से घट रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान के स्रोतों को नियंत्रित करने लगी है। यह इंडिया की देन है कि भारत में भी मनुष्य के बौद्धिक विकास का पैमाना उसकी बौद्धिक उदारता या सहिष्णुता न होकर अंग्रेजी ज्ञान, राजनीतिक पहुंच और विश्वविद्यालयों से जुटाई डिग्रियां हो गई हैं। भारतीय बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, प्रशासन और राजनीति के उन शिखर पुरुषों से जुड़ गया है जो अंग्रेजी राज से भी तेजी से भारत को इंडिया बनाने की मुहिम में जुड़े हैं। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने के बाद उनकी नवीनतम कोशिश है कि सभी भारतीय भाषाओं को उनकी लिपियों से बहिष्कृत कर रोमन लिपि में लिखा जाए। इससे भाषाओं के बीच सौहार्द्र और राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। स्वतंत्रता के बाद हमने भारत से भारतीय मूल्यों को ही निर्वासित करने का अभियान शुरू किया है। यह इंडिया की सबसे बड़ी सफलता है। पूरे विश्व में भारतीय योग, आध्यात्म, चिकित्सा और जीवन दर्शन पर शोध हो रहा है, उसे स्वीकृति मिल रही है, अहिंसा और सह अस्तित्व के प्रतीक के रूप में गांधी प्रतिष्ठित हो रहे हैं लेकिन अपने ही देश और अपने ही राजनीतिक उत्तराधिकारियों में वे बहिष्कृत क्यों हैं? आज के भारत में वैचारिक उत्तेजना पैदा करने वाला यक्ष प्रश्न यही है क्या आज का इंडिया राजनैतिक अराजकता के साथ आर्थिक और बौद्धिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है? क्या भारत की विस्मृति ही इंडिया की अस्मिता की बुनियाद बनेगी? उत्तर उसी अभिजात्य समाज को देना है जिसकी आर्थिक, राजनैतिक या प्रशासनिक सत्ता तक पहुंचने की ताकत इंडिया से मिलती है।

‘गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे,
अहले दानिश ने बहुत सोचकर उलझाई है।’



बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों को बाल श्रम विद्यालय में प्रवेश कराने के पश्चात् उनके माता-पिता की राय का अध्ययन

, -, u-fl g] jktsk dækj

आज भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर एक पर चल रहे चीन को भी पछाड़ने की ओर बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर भारत में बाल श्रमिकों की जनसंख्या भी बड़ी तेजी से फैल रही है। बाल श्रम आज विश्व के विकसित एवं विकासशील देशों की एक प्रमुख समस्या है। भारतीय समाज में मानव का मानव जीवन के प्रति स्नेह ही है कि वह समुदाय में 'हम' की भावना को बलवती बनाये रखता है। समाज के उन्नयन के मद्देनजर जब हमने बाल श्रम उन्मूलन के लिए कदम उठाया है तो यह हम सब का उत्तरदायित्व बनता है कि इसे समाज से दूर किये बिना हम चैन से नहीं रहेंगे क्योंकि यह समस्या किसी एक व्यक्ति मात्र की नहीं वरन् सम्पूर्ण समाज की है।

भारत में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की उम्र वाले बाल श्रमिकों की संख्या करीब सवा करोड़ है। इनमें से सबसे अधिक बाल श्रमिक 19,27,997 उत्तर प्रदेश में हैं और सबसे कम 27 लक्षद्वीप में हैं। यह स्थिति तब है जब भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 (ए) के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार— मानव दुर्व्यापार और बलात श्रम पर प्रतिशोध किया गया है। बेगार तथा बलात श्रम पर रोक लगाई गयी है इस हेतु बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 प्रभावी है।

आज के इस मशीनी युग में जहाँ अधिकांशतः कार्य मानव के स्थान पर मशीनों के द्वारा कराया जाता है, समय एवं धन के अधिकाधिक उपयोग हेतु मानव शक्ति का उपयोग निरंतर कम होता जा रहा है। परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक बुराइयों को बल मिल रहा है। बेरोजगारी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, युवाओं का विभिन्न अपराधों में संलिप्त होना, इत्यादि अनेकानेक समस्याओं से हमारा समाज पहले से ही प्रदूषित रहा है। आज भी उपरिवर्णित समस्याएं भारतीय समाज में स्पष्टतः देखी जा सकती हैं। इनके लिए आवश्यक रणनीतियों का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है लेकिन हमने—आपने क्या कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि कौन से कारक हैं जिनके कारण समस्याओं पर विराम नहीं लगाया जा सका है? सम्भवतः इसमें कहीं न कहीं हम—आप प्रत्यक्ष—परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों के सम्मिलित प्रयासों से आज बाल श्रम की विभीषिका को दूर किये जाने के सतत प्रयास हो रहे हैं। जहां समाजिक कार्यकर्ता सम्पूर्ण उत्साह

से बाल श्रम उन्मूलन हेतु प्रयास भी कर रहे हैं वहीं आप के भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिनका निर्वहन करके आप भी इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वयं में प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं।

भारत सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु संसदीय पहल पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के सभी राज्यों में बच्चों के कल्याण हेतु एवं उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु राज्य बाल अधिकार आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर इस प्रावधान के मद्देनजर राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन किया गया है। यह बाल अधिकार आयोग बच्चों के अधिकारों के लिए सतत प्रयासरत है। बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ ही भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन बाल श्रम परियोजनाओं को देश के सभी जिलों लागू करने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

इस शोध कार्य में विभिन्न खतरनाक उद्योगों में कार्यरत नन्हें-नन्हें बच्चों को, भोजनालयों में जूटे बर्तनों को साफ करने वाले छोटुओं को, घरों में झाड़ू-पोछा करने वाले मासूम बच्चों को, वाहनों की दुकानों पर हाथ में औजार लिये और विभिन्न तरह के शोषणों का शिकार बने हुए इन नौनिहालों को राष्ट्रीय बाल श्रम विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के पश्चात् आये हुये परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है।

fof/krU=

अध्ययन के उद्देश्य

प्रमुख रूप से अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं :

1. विद्यालय में अध्ययनरत बाल श्रमिकों का पार्श्वचित्र तैयार करना।
2. विद्यालय में प्रवेशित बाल श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति का पता लगाना।
3. बाल श्रमिकों के विद्यालय में प्रवेश-पश्चात् आये परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना।

mi dYi uk

1. बाल श्रम का सर्वप्रमुख कारण निर्धनता एवं बेरोजगारी है।
2. बाल श्रम के कारण बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है।
3. बच्चे का विकास शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है।

v/; ; u dh i Nfr , oa fo"k; &{ks=

क्षेत्र की दृष्टि से यह अध्ययन लखनऊ जिले के आठ वार्डों क्रमशः कदमरसूल, चौक, दौलतगंज,

लाला लाजपतराय, मौलाना कल्बे आबिद, मशकगंज, डालीगंज/मनकामेश्वर, बाजार काली जी में कार्यरत बाल श्रमिकों जोकि भारत सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, को सम्मिलित किया गया। प्रत्येक वार्ड में बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत पचास बच्चे पंजीकृत हैं। विषय-वस्तु की दृष्टि से इस अध्ययन में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति, अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत बाल श्रमिकों की वर्तमान स्थिति, कारण एवं समस्याओं, बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी कार्य योजना तथा उसके मूल्यांकन को सम्मिलित किया गया है।

vud'kku i j'puk

प्रस्तुत अध्ययन में विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुये प्रयोगात्मक शोध प्ररचना को अपनाया गया है तथा इसके अन्तर्गत पूर्व-पश्चात् परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

vkpdkka ds | ks'

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। क्षेत्रीय स्रोत के रूप में उत्तरदाताओं से सीधी सूचना प्राप्त की गई है तथा प्रलेखीय स्रोत के रूप में बाल श्रमिकों से सम्बन्धित सर्वेक्षण, अभिलेख, पुस्तकों से (किये गये अध्ययनों से) लेखन सामग्री प्राप्त की गई है।

vkpdkka ds | x'g dh fof/k

प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन एवं साक्षात्कार पद्धतियों को अपनाया गया है।

v/; ; u ds ; a'

तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। इसके द्वारा ठोस एवं यथार्थ सूचनाओं की प्राप्ति सम्भव होती है।

vud' p' h i j' h {k. k

अनुसूची निर्माण के पश्चात् इसकी सार्थकता एवं उपयुक्तता की जाँच कर इसका परीक्षण किया गया जिससे अनुसूची की कठिनाइयों, कमियों, सार्थकता तथा उपयुक्तता की जाँच साक्षात्कार से पूर्व हो सके।

i frn' k' l dk p; u

प्रस्तुत अध्ययन 'जनगणना पद्धति' पर आधारित है।

l æghr rF; k dk oxhldj .k , oa l kfj .kh; u

अनुसंधान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से संकलित तथ्यों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है क्योंकि संकलित तथ्य बिखरे हुए तथा अव्यवस्थित रूप से प्राप्त होते हैं। वर्गीकरण प्रक्रिया में समान लक्ष्यों वाले तथ्यों को एक समूह में रखा गया तथा उन्हें व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करते हुए सुव्यवस्थित किया गया है। आँकड़ों का वर्गीकरण करने के उपरान्त उनका सारिणीयन किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आँकड़ों को समूहों में विभक्त किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण करके उन्हें सारिणियों में सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध किया गया है। एक चरीय तथा बहुचरीय दोनों प्रकार की सारिणियों को बनाया गया है ताकि आँकड़ों के विवरण के साथ-साथ इनका तुलनात्मक विप्लेषण प्रस्तुत किया जा सके।

i æqk fu"d"kl

सारिणी संख्या-1

बाल श्रमिकों का अध्ययन के पूर्व व्यवसाय

वार्ड	लिंग	व्यवसाय				योग
		कूड़ा/कबाड़ी (कूड़ा बीनना)	मजदूरी	जरदोजी	खतरनाक/ मैकेनिक कार्य	
1	पुरुष	—	10	12	—	22
	महिला	—	1	27	—	28
योग		—	11	39	—	50
2	पुरुष	—	8	17	—	25
	महिला	—	3	22	—	25
योग		—	11	39	—	50
3	पुरुष	—	2	5	8	15
	महिला	—	13	11	11	35
योग		—	15	16	19	50
4	पुरुष	15	—	1	8	24
	महिला	17	—	9	—	26
योग		32	—	10	—	50
5	पुरुष	4	—	16	—	20
	महिला	—	—	30	—	30
योग		4	—	46	—	50

6	पुरुष	19	1	1	—	21
	महिला	26	1	2	—	29
योग		45	2	3	—	50
7	पुरुष	6	7	3	—	16
	महिला	21	—	13	—	34
योग		27	7	16	—	50
8	पुरुष	5	25	2	—	32
	महिला	17	—	1	—	18
योग		22	25	3	—	50
कुल योग	पुरुष	49 (37.69)	53 (74.65)	57 (33.14)	16 (59.26)	175 (43.75)
	महिला	81 (62.31)	18 (25.35)	115 (66.86)	11 (40.74)	225 (56.25)
कुल योग		130 (32.50)	71 (17.75)	172 (43.00)	27 (6.75)	400 (100.00)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों में सर्वाधिक (43.00 प्रतिशत) बच्चे जरदोजी व्यवसाय के थे जिनमें (33.14 प्रतिशत) लड़के तथा (66.86 प्रतिशत) लड़कियां हैं। तत्पश्चात् (32.50 प्रतिशत) बच्चे कूड़ा बीनते थे, जिनमें (37.69 प्रतिशत) लड़के व (62.31 प्रतिशत) लड़कियां हैं। तत्पश्चात् (17.75 प्रतिशत) बच्चे मजदूरी व्यवसाय के थे, जिनमें (74.65 प्रतिशत) लड़के व (25.35 प्रतिशत) लड़कियां हैं। 6.75 प्रतिशत बच्चे खतरनाक कार्यों में कार्य कर रहे थे जिनमें (59.26 प्रतिशत) लड़के व (40.74 प्रतिशत) लड़कियां हैं।

सारिणी संख्या-2

बालश्रमिकों की विद्यालय में भर्ती होने से पूर्व शैक्षणिक स्थिति

वार्ड	लिंग	निरक्षर	साक्षर	योग
1	पुरुष	17 (41.46)	5 (55.55)	22 (44.00)
	महिला	24 (58.54)	4 (44.45)	28 (56.00)
योग		41 (82.00)	9 (18.00)	50 (100.00)
2	पुरुष	21 (52.00)	4 (40.00)	25 (50.00)
	महिला	19 (47.50)	6 (60.00)	25 (50.00)
योग		40 (80.00)	10 (20.00)	50 (100.00)

3	पुरुष	8 (25.00)	7 (36.84)	15 (30.00)
	महिला	23 (74.19)	12 (63.16)	35 (70.00)
योग		31 (62.00)	19 (38.00)	50 (100.00)
4	पुरुष	24 (48.00)	—	24 (48.00)
	महिला	26 (52.00)	—	26 (52.00)
योग		50 (100.00)	—	50 (100.00)
5	पुरुष	9 (30.00)	11 (55.00)	20 (40.00)
	महिला	21 (70.00)	9 (45.00)	30 (60.00)
योग		30 (60.00)	20 (40.00)	50 (100.00)
6	पुरुष	13 (52.00)	8 (32.00)	21 (42.00)
	महिला	12 (48.00)	17 (68.00)	29 (58.00)
योग		25 (50.00)	25 (50.00)	50 (100.00)
7	पुरुष	16 (32.00)	—	16 (32.00)
	महिला	34 (68.00)	—	34 (68.00)
योग		50 (100.00)	—	50 (100.00)
8	पुरुष	32 (64.00)	—	32 (64.00)
	महिला	18 (36.00)	—	18 (36.00)
योग		50 (100.00)	—	50 (100.00)
योग	पुरुष	144 (45.43)	31 (37.35)	175 (43.75)
	महिला	173 (54.57)	52 (62.65)	225 (56.25)
कुल योग	317 (79.25)	83 (20.75)	400 (100.00)	

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों में अध्ययन से पूर्व भर्ती किये गये सर्वाधिक (79.25 प्रतिशत) बच्चे निरक्षर थे , जिनमें (45.43 प्रतिशत) लड़के तथा (54.57 प्रतिशत) लड़कियां हैं, तत्पश्चात् 20.75 प्रतिशत साक्षर हैं जिनमें 37.35 प्रतिशत लड़के तथा 62.65 प्रतिशत लड़कियां हैं।

सारिणी संख्या-3

बालश्रमिकों की वर्तमान कक्षावार स्थिति

वार्ड	लिंग	कक्षा-1	कक्षा-2	कक्षा-3	कक्षा-4	कुल योग
1	पुरुष	6	7	9	—	22
	महिला	2	15	10	1	28
योग		8	22	19	1	50

2	पुरुष	6	8	11	—	25
	महिला	6	5	14	—	25
योग		12	13	25	—	50
3	पुरुष	3	5	2	5	15
	महिला	8	14	9	4	35
योग		11	19	11	9	50
4	पुरुष	10	5	2	7	24
	महिला	7	9	7	3	26
योग		17	14	9	10	50
5	पुरुष	10	2	3	5	20
	महिला	11	6	3	10	30
योग		21	8	6	15	50
6	पुरुष	6	9	6	—	21
	महिला	5	10	14	—	29
योग		11	1	20	—	50
7	पुरुष	6	4	3	3	16
	महिला	11	15	6	2	34
योग		17	19	9	5	50
8	पुरुष	4	5	8	15	32
	महिला	1	8	3	6	18
योग		5	13	11	21	50
योग	पुरुष	51 (50.00)	45 (35.43)	44 (40.00)	35 (57.38)	175 (43.75)
	महिला	51 (50.00)	82 (64.57)	66 (60.00)	26 (42.62)	225 (56.25)
कुल योग		102 (25.50)	127 (31.75)	110 (27.50)	61 (15.25)	400 (100.00)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों में वर्तमान समय में सर्वाधिक (31.75 प्रतिशत) बच्चे कक्षा-2 में हैं, जिनमें (35.43 प्रतिशत) लड़के तथा (64.57 प्रतिशत) लड़कियां हैं, तत्पश्चात् (27.50 प्रतिशत) बच्चे कक्षा-3 में हैं, जिनमें (40.00 प्रतिशत) लड़के व (60.00 प्रतिशत) लड़कियां हैं, (25.50 प्रतिशत) बच्चे कक्षा-1 में हैं, जिनमें (50.00 प्रतिशत) लड़के व (50.00 प्रतिशत) लड़कियां हैं, तथा सबसे कम

(15.25 प्रतिशत) बच्चे कक्षा-4 में अध्ययनरत हैं, जिनमें (57.38 प्रतिशत) लड़के व (42.62 प्रतिशत) लड़कियां हैं।

सारिणी संख्या-4
बाल श्रमिकों की धर्म एवं जाति

वार्ड	लिंग	धर्म एवं जाति					योग
		सामान्य जाति	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	उपयोग	मुस्लिम	
1	पुरुष	—	7	1	8	14	22
	महिला	—	10	2	12	16	28
योग		—	17	3	20	20	50
2	पुरुष	—	6	—	6	19	25
	महिला	—	4	—	4	21	25
योग		—	10	—	10	40	50
3	पुरुष	5	1	4	10	5	15
	महिला	2	6	16	24	11	35
योग		7	7	20	34	16	50
4	पुरुष	4	6	13	23	1	24
	महिला	2	7	16	25	1	26
योग		6	13	29	48	2	50
5	पुरुष	—	—	—	—	20	20
	महिला	—	—	—	—	30	30
योग		—	—	—	—	50	50
6	पुरुष	1	18	—	19	2	21
	महिला	1	23	—	24	5	29
योग		2	41	—	43	7	50
7	पुरुष	12	2	—	14	2	16
	महिला	19	3	—	22	12	34
योग		21	5	—	36	14	50
8	पुरुष	11	17	—	28	4	32
	महिला	3	13	—	16	2	18

योग		14	30	—	44	6	50
योग	पुरुष	33 (55.00)	57 (46.34)	18 (34.62)	108 (45.96)	67 (40.61)	175 (43.75)
	महिला	27 (45.00)	66 (53.66)	34 (65.38)	127 (54.04)	98 (59.39)	225 (56.25)
कुल योग		60 (25.53)	123 (52.35)	52 (22.12)	235 (58.75)	165 (41.25)	400 (100.00)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों में सर्वाधिक (58.75 प्रतिशत) बच्चे हिन्दू धर्म के हैं, जिनमें सर्वाधिक (52.35 प्रतिशत) बच्चे पिछड़ा वर्ग के हैं, जिनमें (46.34 प्रतिशत) लड़के तथा (53.66 प्रतिशत) लड़कियां हैं, तत्पश्चात् (25.53 प्रतिशत) बच्चे सामान्य वर्ग के हैं, जिनमें (55.00 प्रतिशत) लड़के व (45.00 प्रतिशत) लड़कियां हैं, (22.12 प्रतिशत) बच्चे अनुसूचित वर्ग के हैं, तथा जिनमें (34.62 प्रतिशत) लड़के व (65.38 प्रतिशत) लड़कियां हैं, तथा (41.25 प्रतिशत) बच्चे मुस्लिम धर्म के हैं, जिनमें (40.61 प्रतिशत) लड़के व (59.39 प्रतिशत) लड़कियां हैं।

सारिणी संख्या-5 बाल श्रमिकों की आयु

वार्ड	लिंग	आयु (वर्षों में)			कुल योग
		9-10 वर्ष	11-12 वर्ष	13-14 वर्ष	
1	पुरुष	10	12	—	22
	महिला	13	10	5	28
योग		23	22	5	50
2	पुरुष	9	13	3	25
	महिला	9	11	5	25
योग		18	24	8	50
3	पुरुष	9	5	1	15
	महिला	14	11	10	35
योग		23	16	11	50
4	पुरुष	11	13	—	24
	महिला	16	10	—	26
योग		27	23	—	50

5	पुरुष	6	3	11	20
	महिला	10	17	3	30
योग		16	20	14	50
6	पुरुष	8	9	4	21
	महिला	6	20	3	29
योग		14	29	7	50
7	पुरुष	4	11	1	16
	महिला	6	17	11	34
योग		10	28	12	50
8	पुरुष	11	17	4	32
	महिला	2	8	8	18
योग		13	25	12	50
योग	पुरुष	69 (47.92)	83 (44.39)	24 (34.78)	175 (43.75)
	महिला	75 (52.08)	104 (55.61)	45 (65.22)	225 (56.25)
कुल योग		144 (36.00)	187 (46.75)	69 (17.25)	400 (100.00)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों में सर्वाधिक (46.75 प्रतिशत) बच्चे 11-12 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जिनमें (44.39 प्रतिशत) लड़के तथा (55.61 प्रतिशत) लड़कियां हैं, तत्पश्चात् (36.00 प्रतिशत) बच्चे 9-10 आयु वर्ग के वर्ष हैं, जिनमें (47.92 प्रतिशत) लड़के व (52.08 प्रतिशत) लड़कियां हैं तथा (17.25 प्रतिशत) बच्चे 13-14 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जिनमें (34.78 प्रतिशत) लड़के व (65.22 प्रतिशत) लड़कियां हैं। बाल श्रमिकों की औसत आयु 11.13 वर्ष है।

सारिणी संख्या-6 बाल श्रमिकों के माता-पिता का व्यवसाय

वार्ड	लिंग	व्यवसाय						कुल योग
		मजदूरी कार्य	जरदोजी कार्य	सफाई कार्य	सिलाई कार्य	दुकान कार्य	प्राइवेट नौकरी	
1	पुरुष	18	4	-	-	-	-	22

	महिला	25	3	—	—	—	—	28
योग		43	7	—	—	—	—	50
2	पुरुष	13	11	—	—	1	—	25
	महिला	16	6	—	—	3	—	25
योग		29	17	—	—	4	—	50
3	पुरुष	8	1	—	3	—	3	15
	महिला	27	6	—	1	—	1	35
योग		35	7	—	4	—	4	50
4	पुरुष	11	—	7	—	6	—	24
	महिला	10	—	8	—	8	—	26
योग		21	—	15	—	14	—	50
5	पुरुष	4	14	—	—	—	2	20
	महिला	10	16	—	—	—	4	30
योग		14	30	—	—	—	6	50
6	पुरुष	15	—	—	—	6	—	21
	महिला	18	—	—	—	11	—	29
योग		33	—	—	—	17	—	50
7	पुरुष	11	—	—	—	5	—	16
	महिला	29	—	—	—	5	—	34
योग		40	—	—	—	10	—	50
8	पुरुष	26	4	—	—	—	2	32
	महिला	16	1	—	—	—	1	18
योग		42	5	—	—	—	3	50
योग	पुरुष	109 (42.41)	34 (51.52)	7 (46.67)	3 (75.00)	18 (40.00)	7 (53.85)	175 (45.00)
	महिला	151 (57.59)	32 (48.48)	8 (53.33)	1 (25.00)	27 (60.00)	6 (46.15)	225 (55.00)
कुल योग		257 (64.25)	66 (16.50)	15 (3.75)	4 (1.00)	45 (11.25)	13 (3.25)	400 (100.00)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों में सर्वाधिक (64.25 प्रतिशत) बच्चों के माता-पिता का व्यवसाय मजदूरी है, जिनमें (42.41 प्रतिशत) पुरुष तथा (57.59 प्रतिशत) महिलायें हैं, तत्पश्चात् (16.

50 प्रतिशत) बच्चों के माता-पिता का व्यवसाय जरदोजी है, जिनमें (51.52 प्रतिशत) पुरुष व (48.48 प्रतिशत) महिलायें हैं, 11.25 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता का व्यवसाय दुकान पर कार्य है, जिनमें (40.00 प्रतिशत) पुरुष व 60.00 प्रतिशत महिलायें हैं, 3.75 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता का व्यवसाय सफाई कार्य है, जिनमें (46.67 प्रतिशत) पुरुष व (53.33 प्रतिशत) महिलायें हैं, 3.25 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता का व्यवसाय प्राइवेट नौकरी है, जिनमें (53.85 प्रतिशत) पुरुष व (46.15 प्रतिशत) महिलायें हैं।

सारिणी संख्या-7
बालश्रमिकों के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या

वार्ड	लिंग	परिवार के सदस्यों की संख्या			कुल योग
		3-6	7-10	11-14	
1	पुरुष	14	8	—	22
	महिला	19	9	—	28
योग		33	17	—	50
2	पुरुष	19	9	—	25
	महिला	13	11	1	25
योग		32	17	1	50
3	पुरुष	9	6	—	15
	महिला	12	23	—	35
योग		21	29	—	50
4	पुरुष	11	13	—	24
	महिला	19	10	—	26
योग		27	23	—	50
5	पुरुष	8	12	4	20
	महिला	15	11	4	30
योग		23	23	4	50
6	पुरुष	7	10	5	21
	महिला	13	11	9	29
योग		20	21	—	50
7	पुरुष	7	9	—	16
	महिला	13	21	—	34

योग		20	30	—	50
8	पुरुष	22	10	—	32
	महिला	11	7	—	18
योग		33	17	—	50
योग	पुरुष	97 (46.41)	74 (41.81)	4 (28.57)	112 (43.75)
	महिला	101 (53.59)	10 (58.19)	225 (71.43)	(56.25)
कुल योग		209 (52.25)	177 (44.25)	14 (3.50)	400 (100.00)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों के बच्चों के परिवार के अधिसंख्य (52.25) सदस्यों में 3-6 सदस्य वाले हैं, जिनमें (46.41 प्रतिशत) पुरुष तथा (53.59 प्रतिशत) महिलायें हैं, तत्पश्चात् (44.25) बच्चों का परिवार 7-10 सदस्यों वाला है, जिनमें (41.81 प्रतिशत) पुरुष व (58.19 प्रतिशत) महिलायें हैं तथा सबसे कम 3.50 प्रतिशत बच्चों का परिवार 11-14 सदस्यों वाला है, जिनमें (28.57 प्रतिशत) पुरुष व (71.43 प्रतिशत) महिलायें हैं। परिवार में सदस्यों की औसत संख्या 6.55 है।

सारिणी संख्या-8

बाल श्रमिकों के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय

वार्ड	लिंग	5001- 8000	8001- 11000	11001- 14000	14001- 17000	17001- 20000	20001- 23000	कुल योग
1	पुरुष	—	5	11	6	—	—	22
	महिला	—	9	17	2	—	—	28
योग		—	14	28	8	—	—	50
2	पुरुष	—	7	15	3	—	—	25
	महिला	—	10	10	5	—	—	25
योग		—	17	25	8	—	—	40
3	पुरुष	1	4	4	2	3	1	15
	महिला	2	4	16	3	8	2	35
योग		3	8	20	5	11	3	50
4	पुरुष	—	20	4	—	—	—	24

	महिला	—	20	6	—	—	—	26
योग		—	40	10	—	—	—	50
5	पुरुष	2	1	6	7	4	—	20
	महिला	0	9	12	4	5	—	30
योग		2	10	18	11	9	—	50
6	पुरुष	—	—	6	6	9	—	21
	महिला	—	—	9	11	9	—	29
योग		—	—	15	17	18	—	50
7	पुरुष	—	—	8	7	1	—	16
	महिला	—	—	21	9	4	—	34
योग		—	29	16	5	—	50	
8	पुरुष	—	20	12	—	—	—	32
	महिला	—	9	9	—	—	—	18
योग		—	29	21	—	—	—	50
योग	पुरुष	3	57	66	31	17	1	175
		(60.00)	(48.31)	(39.76)	(47.69)	(39.54)	(33.33)	(43.75)
योग	महिला	2	61	100	34	26	2	225
		(40.00)	(51.69)	(60.24)	(52.31)	(60.46)	(66.67)	(56.25)
कुल योग		5	118	166	65	43	3	400
		(1.25)	(29.50)	(41.50)	(16.25)	(10.75)	(0.75)	(100)

सारिणी से स्पष्ट है कि 8 विद्यालयों के बच्चों के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय के अनुसार सर्वाधिक (41.50 प्रतिशत) बच्चों 11001-14000 आय वर्ग के हैं, जिनमें (39.76 प्रतिशत) पुरुष तथा (60.24 प्रतिशत) महिलायें हैं, तत्पश्चात् (29.50 प्रतिशत) बच्चों के परिवार की वार्षिक आय 8001-11000 आय वर्ग की है, जिनमें (48.31 प्रतिशत) पुरुष व (51.69 प्रतिशत) महिलायें हैं, 16.25 प्रतिशत बच्चों के परिवार की वार्षिक आय 14001-17000 आय वर्ग की है, जिनमें (47.69 प्रतिशत) पुरुष व (52.31 प्रतिशत) महिलायें हैं, 10.75 प्रतिशत बच्चों के परिवार की वार्षिक आय 17001-20000 आय वर्ग की है, जिनमें (39.54 प्रतिशत) पुरुष व (60.46 प्रतिशत) महिलायें हैं, 1.25 प्रतिशत बच्चों के परिवार की वार्षिक आय 5001-8000 आय वर्ग की है, जिनमें (60.00 प्रतिशत) पुरुष व (40.00 प्रतिशत) महिलायें हैं, 0.75 प्रतिशत बच्चों के परिवार की वार्षिक आय 20001-23000 आय वर्ग की है, जिनमें (33.33 प्रतिशत) पुरुष व (66.67 प्रतिशत) महिलायें हैं। परिवार की वार्षिक औसत आय रुपये 12740.50 है।

सारिणी संख्या-9

राष्ट्रीय बाल श्रम विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता की बाल श्रम विद्यालय के विषय में राय

क्र. सं.	वक्तव्य	सहमत (प्रतिशत में)	अनिश्चित (प्रतिशत में)	असहमत (प्रतिशत में)
1.	आप को लगता है कि बच्चों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है।	81.00	12.00	7.00
2.	विद्यालय जाने के बाद बच्चे साफ-सुथरे रहने लगे हैं।	87.00	9.00	4.00
3.	बच्चों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है।	85.00	7.00	8.00
4.	बच्चों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण से परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है।	67.00	3.00	30.00
5.	बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये।	88.00	10.00	2.00
6.	विद्यालय में पढ़ने के बाद बच्चों की सोच बदली है।	79.00	12.00	9.00
7.	आप को सीमित परिवार रखना चाहिये।	59.00	27.00	14.00
8.	विद्यालय में बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है।	78.00	18.00	4.00
9.	विद्यालय में बच्चों के खान-पान के प्रति रुझान बढ़ा है।	73.00	17.00	10.00
10.	विद्यालय के अनुदेशकों का बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा है।	89.00	11.00	—

निष्कर्ष

1. बाल श्रम से छुटकारा दिलाये गये बच्चों का कार्य क्षेत्र में पुनः प्रवेश न हो, इस दिशा में सरकार द्वारा प्रयास करना।
2. जनचेतना हेतु कार्यशालाओं, गोष्ठियों, जागरूकता रैलियों एवं सम्मेलनों का आयोजन करना।

-
3. विकास कार्यक्रमों में बाल श्रमिकों के परिवार के लोगों को अवश्य शामिल किया जाये।
 4. बाल श्रम उन्मूलन सम्बंधी पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाये। साथ ही इन पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा यथा मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाये।
 5. बाल श्रम विद्यालयों को दो पालियों में खोला जाये एवं रात्रि स्कूल भी बाल श्रमिकों के लिये खोले जाये।

सन्दर्भ

- . ट्रेड यूनियनों के लिए बाल श्रम पर प्रशिक्षण पैकेज, नोएडा, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2000।
- . चौधरी, डी.पी.: चाइल्ड वेल्फेयर एण्ड डेवलपमेंट, आत्मा राम एण्ड सन्स, 1980।
- . बाल श्रम पर पंचायती राज संस्थाओं के लिये प्रशिक्षण पैकेज, नोएडा, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2000।
- . बाल श्रम पर कानून में प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षकों के लिये पुस्तक, नोएडा : राष्ट्रीय श्रम बाल श्रम संसाधन केन्द्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2000।
- . बाल श्रम कानून के प्रवर्तन के लिये कारखाना/श्रम निरीक्षकों के लिये नियम पुस्तक, नोएडा : राष्ट्रीय बाल श्रम पर संसाधन केन्द्र, वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, 2000।
- . प्रशिक्षक प्रशिक्षण : बाल श्रम मैनुअल, महावीर जैन, वी. वी. गिरि. राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, 2007।
- . चिल्ड्रेन ब्यूरो: हवाई चाइल्ड लेबर लाज, डिपार्टमेंट आफ लेबर, यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिशिंग, नं.313,1946।



ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं में महिला सशक्तीकरण स्तर का तुलनात्मक अध्ययन

v'kked iarki fl g

नारी की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध व मजबूत समाज का द्योतक है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों में 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' सूत्र वाक्य द्वारा इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। हमारे देश भारत में जहाँ एक ओर लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, पार्वती के रूप में नारी को देवतुल्य बताया जाता है वहीं उसे अबला बताकर परम्परा एवं रूढ़ियों की बेड़ी में भी जकड़ा जाता रहा है। हालांकि यह सच है कि स्वतन्त्रता के बाद अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों और नारी अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के कारण महिलाओं की प्रस्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है और इसी के कारण आज देश की आर्थिक गतिविधियों में नारी की सहभागिता दर में लगातार वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके नारी और पुरुष के स्थिति को विकास की कसौटी पर कसने के बाद विषमता आज भी स्पष्ट दिखाई देती है।

हड़प्पा संस्कृति में नारी की पूजा होती थी। अर्द्धनारीश्वर की कल्पना इसी तथ्य का प्रतीक है कि नारी तथा पुरुष एक समान है। हिन्दू समाज में होने वाली सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी की सहभागिता आवश्यक मानी गयी है। वैदिक युग में तो नारी का स्थान काफी उच्च था। तब न पर्दा प्रथा थी न सती प्रथा। पुत्र के अभाव में पुत्री ही पिता की उत्तराधिकारिणी होती थी। किन्तु उत्तरवैदिक काल के आते-आते नारी की स्थिति दयनीय होने लगी। मध्यकाल में तो नारी की स्थिति बद से बदतर हो गई तथा वर्तमान के आधुनिकता युक्त समाज में भी नारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। यही कारण है कि आज महिला सशक्तीकरण जैसे शब्द उभर कर सामने आये हैं।

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य है सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन पर स्वनिर्णय का अधिकार होना आदि है। सशक्तीकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सम्बन्धित साधनों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष-महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। सशक्तीकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से भी है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक है। महिला सशक्तीकरण का आशय नारी को अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों में सुरक्षित करना है जिससे उन्हें जागरूक

कर शक्तिशाली बनाया जा सके। महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मविश्वास को सुनिश्चित करना है।

स्त्रियों के साथ जन्म से मृत्यु तक सदैव ही लैंगिक भेदभाव होता रहता है। विशेषतः ग्रामीण महिलाओं के विषय में प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि महिलाओं के साथ प्रत्येक क्षेत्र यथा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधियों में लगातार असमान व्यवहार किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि महिलाएँ शैक्षिक दृष्टिकोण से भी पुरुषों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई हैं। परिवारों में आज भी लड़के-लड़कियों में शिक्षा के प्रति भेद-भाव सामान्य रूप से देखा जा सकता है। शिक्षा से सम्बन्धित जो सुविधाएँ परिवार में लड़कों को दी जाती हैं, वे सभी सुविधाएँ लड़कियों को नहीं दी जाती। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यदि हम विचार करें तो वर्ष 1951 में महिलाओं में साक्षरता दर 8.86 प्रतिशत थी जो सन् 2001 में बढ़कर 54.16 प्रतिशत हो पायी। परिणाम यह है कि आज देश में लगभग 30 करोड़ निरक्षर हैं और उनमें अधिकतर महिलाएँ हैं।

शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। महिलाओं की दयनीय दशा के लिए अशिक्षा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। जैसे-जैसे शिक्षा का निरन्तर विकास होता जा रहा है, महिलाओं के स्तर में भी सुधार आता जा रहा है। शिक्षा द्वारा महिलाओं के स्तर में भी बदलाव आता जा रहा है। शिक्षा द्वारा महिलाएँ जीवन तथा विचार के सही तरीके अपनाती हैं। शिक्षा के माध्यम से उसमें गतिशीलता, परिवार के प्रति नया दृष्टिकोण, अधिकारों के प्रति चेतना तथा सामन्जस्य करने की शक्ति उत्पन्न हुई है। अब उसके विचार नवीनता की ओर उन्मुख हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा ने महिलाओं के लिए अनेक क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त किए हैं। शिक्षा के प्रसार से भारतीय महिलाओं में परिवर्तन आया है। आज शिक्षित महिलाएँ अत्याचार के विरुद्ध बलपूर्वक खड़ी हो रही हैं। अपने अधिकारों को पाने के लिए शैक्षिक रूप से जागरूक होना तो आवश्यक ही है, साथ ही आत्मनिर्भर भी बनना आवश्यक है। शिक्षा महिलाओं में इन क्षमता का विकास कर रही है। यह उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा रही है। वर्तमान समय में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं में महत्वपूर्ण पदों पर पहुँच महिलाएँ उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

उद्देश्य : प्रस्तुत शोधकार्य का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य महिला सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करना है।

परिकल्पना : ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं में महिला सशक्तीकरणस्तर के विभिन्न आयाम (आत्मविश्वास, लिंग-भेद, स्वास्थ्य जागरूकता, परिवार नियोजन) में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

शोध विधि :

1. न्यादर्श : प्रस्तुत कार्य हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जनपद में स्थित 100

छात्राओं को न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है। स्नातक स्तर की 47 छात्राओं का चयन ग्रामीण क्षेत्र से व 53 छात्राओं का चयन नगरीय क्षेत्र से आकस्मिक यादृच्छिकरण न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है।

2. शोध उपकरण : प्रस्तुत शोध कार्य में आंकड़ों के संग्रहण हेतु निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है –
 - क) व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र (स्वनिर्मित)
 - ख) महिला सशक्तीकरण अभिवृत्ति मापनी (प्रो0वी0आर0 ढौंडियाल, 2002)
3. प्रयुक्त सांख्यिकी : प्रस्तुत शोध कार्य में सांख्यिकी की प्राचल विधि का प्रयोग किया गया है जिसके अन्तर्गत माध्य, मानक विचलन एवं टी फलांक की गणना की गई है।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं परिणाम :

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत् छात्राओ में महिला सशक्तीकरण के प्रति दृष्टिकोण से सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण निम्न प्रकार है ।

तालिका-1

उप तालिका	आयाम संख्या	छात्राएं	प्रतिदर्श	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	“टी” फलांक	सार्थकता स्तर (0.05)
1.1	आत्मविश्वास स्तर	ग्रामीण क्षेत्र	47	23.25	3.72	.3379	निरर्थक
		शहरी क्षेत्र	3.67	53	23		
1.2	लिंग-भेद स्तर	ग्रामीण क्षेत्र	47	57.67	2.05	.8393	निरर्थक
		शहरी क्षेत्र	53	57.31	2.24		
1.3	स्वास्थ्य जागरूकता	ग्रामीण क्षेत्र	47	74.25	3.28	.0390	निरर्थक
		शहरी क्षेत्र	53	74.28	4.37		
1.4	परिवार नियोजन की जानकारी का स्तर	ग्रामीण क्षेत्र	47	30.84	1.99	2.6911	सार्थक
		शहरी क्षेत्र	53	29.52	2.88		

तालिका 1 में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों सम्बन्धी मध्यमान, मानक विचलन, एवं ‘टी’ मान का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

उपतालिका 1.1 : उपतालिका 1.1 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य आत्मविश्वास स्तर सम्बन्धी मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दोनों समूहों की छात्राओं के आगणित 'टी' का प्राप्त मान 1.96 स्वतन्त्रता अंश 0.05 स्तर पर कम है। इसलिए दोनों समूहों के मध्यमानों का अन्तर सार्थक नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य आत्मविश्वास में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपतालिका 1.2 : उपतालिका 1.2 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य लिंग-भेद स्तर सम्बन्धी मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य आगणित 'टी' का प्राप्त मान 1.96 स्वतन्त्रता अंश 0.05 स्तर पर कम है। इसलिए दोनों समूहों के मध्यमानों का अन्तर सार्थक नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य लिंग-भेद स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपतालिका 1.3 : उपतालिका 1.3 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य स्वास्थ्य जागरूकता स्तर सम्बन्धी मध्यमान, मानक-विचलन एवं 'टी' मान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य आगणित 'टी' का प्राप्त मान 1.96 स्वतन्त्रता अंश 0.05 स्तर पर कम है। इसलिए दोनों समूहों के मध्यमानों का अन्तर सार्थक नहीं है। प्राप्त निष्कर्ष इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य स्वास्थ्य जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

उपतालिका 1.4 : उपतालिका 1.4 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं के मध्य परिवार नियोजन की जानकारी के स्तर सम्बन्धी मध्यमान, मानक विचलन एवं 'टी' मान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। दोनों समूहों की छात्राओं के मध्य आगणित 'टी' का प्राप्तमान 1.96 स्वतन्त्रता अंश 0.05 स्तर पर अधिक है। इसलिए दोनों समूहों के मध्यमानों का अन्तर सार्थक है। प्राप्त निष्कर्ष इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं में परिवार नियोजन की जानकारी का स्तर शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं से अधिक है।

निष्कर्ष : संकलित किए गए प्रदत्तों का सावधानीपूर्वक उचित विधि से विश्लेषण करने के पश्चात् प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं में महिला सशक्तीकरण स्तर के परिवार नियोजन की जानकारी आयाम के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर है तथा अन्य तीन आयामों यथा: आत्मविश्वास आयाम, लिंग भेद आयाम व स्वास्थ्य जागरूकता आयाम के सन्दर्भ में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः इस शोध कार्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं पर परिवार नियोजन की जानकारी आयाम को छोड़कर अन्य सभी आयामों में कोई सार्थक अन्तर देखने को नहीं मिला।

इसलिए कहा जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में अध्ययनत् छात्राओं की परिवार नियोजन की जानकारी सम्बन्धी कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ाकर इन छात्राओं को भी इस क्षेत्र में सशक्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. डौडियाल, वी0आर0 2004— महिला सशक्तीकरण, साक्षर एवं निरक्षर महिलाओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ, 48, 61 ।
2. दुग्गल, जे0 1989— ऊषा नैयर 1997, एजूकेशन फॉर गर्ल्स एण्ड वीमेन, शैक्षिक शोध का पॉचवा सर्वे, एन.सी. ई.आर.टी. 1988—92, 1997 में प्रकाशित।
3. कौर, इन्दरजीत 1983—भारत में हिन्दू स्त्रियों की दशा, चुग पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ सं0 26।
4. जीना, संजय केतन 1993, वर्किंग वुमेन एण्ड मार्डनाइजेशन, 331—4जे 51डब्लू1 पृष्ठ संख्या 21—33, 55—61 ।
5. गैरोला, आर0 2004— उत्तराखण्ड में महिला सशक्तीकरण, कुरुक्षेत्र, 50, 11 ।
6. गुप्ता, एस0पी0 1998 — शिक्षा का ताना बाना, शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद, पृष्ठ सं0 57।
7. कुमारी, निर्मला 2005—फैमिली सपोर्ट ऑफ वीमेन एण्ड चिल्ड्रन, सोशल वेल्फेयर, 51, 12, 6 ।
8. त्रिपाठी, डॉ0 चन्द्रबली 1981—“भारतीय समाज में नारी आर्दशों का विकास”, दुर्गावती : गोरखपुर, पृष्ठ 195 ।
9. कपाड़िया, के0एम0, 1973 — “भारत में विवाह एवं परिवार”, दिल्ली : मोतीलाल बनारसी दास, पृष्ठ सं0 26 ।
10. अमिताभ 1994 — महिला साक्षरता, समता पत्रिका, प्रवेशांक, 5, 2, 10 ।
11. भारतीय, एस0 2005, स्त्री सशक्तीकरण—ई0के0 विमर्श, आर0द्विवेदी 2005, महिला सशक्तीकरण, चुनौतियों एवं रणनीतियों, परबसा प्रकाशन, भोपाल।



भारत का आदिवासी समाज और उसके अस्तित्व का संकट

jke i rki ; kno

आधुनिकता ने अपने फलक के विस्तार के रूप में दो नवीन उपादान मनुष्य समाज को दिये हैं। प्रथम, सभी सुविधाओं से सुसज्जित हाइटेक रोबोटिक और सर्वशक्तिमान तथा प्रकृति को पूर्णतः पराधीन करने वाला मनुष्य तो दूसरा, इस धारा के ठीक विपरीत हाशिए का वह आदमी जिसका सबकुछ लुट गया है। उसका जंगल, उसकी जमीन और अनादिकाल से प्रयोग कर रहे उसके जल की धारा को मोड़ दिया गया है – बड़े बांधों और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा उद्योगों के विस्तार के लिए।

यह दूसरा व्यक्ति ही दुनिया में सर्वत्र संकटग्रस्त है। चाहे वह चरम विकास की राह पर अग्रसर पश्चिमी पूंजीवादी देशों का 'मूल निवासी' हो या हमारे जैसे विकासमान और पिछड़े राष्ट्र का जनजातीय समाज। तथाकथित विकास के नाम पर जिस समाज का सर्वाधिक नुकसान हुआ है उसमें वनवासी, आदिम जातियां ही रही हैं। आजादी के तदुपरांत भारत सरकार ने जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था की रहा पकड़ी उसमें बड़े उद्योगों और बड़े बांधों को नेहरू ने 'आधुनिक मंदिर' की संज्ञा दी थी। हालांकि ये 'मंदिर' वक्त की जरूरत थे किन्तु इनकी भारी कीमत आम आदमी ने ही चुकायी। बड़े स्तर पर विस्थापन और पुर्नवास के कार्यक्रम सरकार ने चलाये। किन्तु विगत 90 के दशक से सरकार ने पूंजीवादी विकास का जो मॉडल अपनाया है ऐसे में समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा गांधी जी का वह व्यक्ति अब सरकार के उछलते संसेक्स में गायब सा हो गया है।

उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की गति को असीमित छूट दे रखी है। ऐसे में पर्यावरण का नुकसान तो एक तरफ है उसने पारिस्थितिकी तंत्र को भी बदल के रख दिया है। आदमी को उसकी अपनी ही जमीन पर गुलाम बना दिया गया है। वह बाहरी लोगों के अनाधिकार चेष्टा से हतप्रभ है।

भारत का आदिवासी समाज इस बात से भौचक्का है कि आखिर 'बाघ संरक्षण' और 'वन संरक्षण' जैसे सरकारी योजनाओं के लिए उसे जंगल से बाहर क्यों किया जा रहा है जबकि वह तो अपना जंगल बचाने के लिए ही कितनी बार कुबार्नी दे चुका है। "पूंजीवादी विकास के मॉडल ने पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया है वह किसी से छिपा नहीं है। प्राकृतिक संपदा की लूट और अधाधुन्ध दोहन का ही नतीजा है कि हजारों लोग अपनी धरती और जंगलों से बेदखल हो गये हैं।"¹

"पर्यावरणीय न्याय के आंदोलन वंचित समुदाय के आदिवासी, दलित या अन्य समुदाय वर्षों से चलाते आ रहे हैं। इसमें सबसे मुख्य है भारत में वनाधिकारों का ढ़ाई सौ वर्ष से भी अधिक चला आ रहा संघर्ष। इन संघर्षों को जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाले संगठनों ने कभी भी मुख्य

धारा का आंदोलन नहीं माना बल्कि वंचित तबकों के वनाधिकार आंदोलनों को पर्यावरण विरोधी बताया।²

लंबे अर्से से चलाए जा रहे तमाम आंदोलन जैसे 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' और टिहरी के विस्थापितों को उचित मुआवजा व पुर्नवास संबंधी दृष्टांत इस संदर्भ में पर्याप्त है कि सरकार के वे दावे झूठे साबित हो रहे हैं कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। "सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज देश के 16 राज्यों में जो 200 जिले नक्सलवाद से पीड़ित हैं इनमें से प्रत्येक राज्य की अपनी अलग कहानी हो सकती है किन्तु समस्याएं एक सी ही हैं – मसलन आदिवासी एवं अन्य वंचित समाजों का उनकी जमीन से बेदखली, फर्जी एनकाउंटर, सामंती उत्पीड़न तथा स्थानीय लोगों की बातों को अनसुना कर वहां उद्योग कारखानों आदि की स्थापना एवं उचित पुर्नवास का न हो पाना।³

ऐसे में माओवादी व नक्सलवादी कहकर जंगलों में सेना उतारना अपने ही लोगों की हत्या करने के समान है। सरकार ने वनों में रह रहे 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को एक लम्बे इंतजार के बाद 'वनाधिकार कानून (2006)' दिया है पर यह भी स्थानीय निवासियों की अपेक्षाओं की कसौटी पर पर्याप्त नहीं दिखती। ऐसे में नक्सलवादी आंदोलन और तीव्र दिखता है। यह नारा कि 'जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है' (कैमूर क्षेत्र मजदूर किसान महिला संघर्ष समिति का नारा) सीधे-सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा न होकर मूल निवासियों के हकों व हकूक से जुड़ा लगता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं की यह स्वीकार किया है कि "नक्सलवाद एक राजनीतिक आंदोलन है। इसको देश की जनता का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि जनता के आंदोलन को बंदूक से दबाना कहां तक उचित है।⁴

ऐसा नहीं है कि आदिवासी ही नक्सल समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। वो तो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। "आज भी हजारों आदिवासी नक्सलियों के भय से राहत शिविरों में रह रहे हैं। आदिवासियों का दर्द यह है कि उनकी बात न तो सरकार सुन रही है न नक्सली जो उनके रहनुमा बनके जंगलों में आये थे। अब हालात ये है कि आदिवासियों को नक्सली भी मार रहे हैं। आदिवासी की दिक्कत देखिए पुलिस उससे मुखबिरी कराना चाहती है और जब वह ऐसा करता है तो नक्सली उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। इसके सामने दोनों तरफ से मुश्किलें हैं।⁵

पंचायत विकेन्द्रीकरण ने लोगों को स्वराज का भान तो कराया है किन्तु पंचायती राज कानून में लोगों के स्वयं फैसला लेने पर अनेकों बंदिशें भी लगा रखी हैं। मसलन वन कानून, उद्योग और 'स्पेशल आर्थिक जोन' जैसे तमाम विकास के जुमलों ने नौकरशाही को असीमित अधिकार दे रखे हैं। अतः पंचायत व्यवहार में मुहर लगाने वाली एक इकाई मात्र है। ग्राम सभा को सरकारी मुलाजिम ही दिशा निर्देशित करते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि "आदिवासियों की सेवा भी रचानात्मक कार्यक्रम का एक अंग है। हमारा देश इतना विशाल है और उसमें बसने वाली जातियां इतनी ज्यादा और विविध हैं कि अपने देश के सभी निवासियों के और उनकी दशा के बारे में हममें से अच्छे से अच्छे

लोग भी जितना उन्हें जान लेना चाहिए उतना सब जान नहीं पाते।⁶

अतएव नक्सली या मोओवादी जो आदिवासी समाजों में अपनी पैठ बनाये हैं, इसके उत्तर क्षेत्रों में भी सक्रिय हो रहे हैं। इसका परिस्थितिजन्य कारण ढूँढा जा सकता है। मसलन पं. बंगाल में 'नन्दीग्राम हो या केरल में 'चेंगेरा' दोनों ही आन्दोलनों में भूमि सुधार ही मुख्य मुद्दा रहा है। अजीब बात यह है कि दोनों ही जगह वामपंथी सरकार सत्तारूढ़ है जिसने भूमि सुधार व वंचित तबकों के हिमायती के बतौर सत्ता प्राप्त की थी।⁷

निश्चित तौर पर हम आदिवासी समाज की समस्याओं पर चर्चा करते हुए किसी एक कारण को चिन्हित नहीं कर सकते किन्तु उनमें गरीबी, अशिक्षा पलायन, विस्थापन, शोषण और अलगावपन के साथ-साथ हताशा को भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। बहुत सारे समाजशास्त्रियों एवं नृशास्त्रियों यथा प्रो. मुखर्जी, प्रो. दूबे व श्रीनिवास तथा नदीम हसनैन इत्यादि ने आदिवासी समाज का विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने आदिवासियों की पृथक सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रता के प्रति उनके अनुराग का ऐतिहासिक खाका खींचा है। "चाहें वह मलेर का आंदोलन (1770) हो या हो विद्रोह (1821) अथवा महान कोल विद्रोह (1831) अथवा 1855 का संथाल विद्रोह, ये सभी आदिवासी समाज के पहचान और आजादी के प्रति उनके अनुराग की याद दिलाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भी इन आदिवासियों की मांगों को वैध रूप दिया था। 1908 का 'छोटा नागपुर टिनेसी एक्ट' हो या 'संथाल परगना भूमि सुधार एक्ट' ये सभी इस बात के प्रतीक हैं कि किसी भी पिछड़े समाज को अनसुना कर बाकी जनसामान्य के विकास की बात नहीं सोंची जा सकती है।⁸

आदिवासियों की बड़ी मामूली और छोटी-छोटी समस्याएं हैं। मसलन जंगल से जुड़े आर्थिक गतिविधियों पर सरकार उनकी रायशुमारी करे। जंगलों को आरक्षित करने और तमाम सारे विकास योजनाओं को लागू करते वक्त उनके समुचित पुर्नवास और मुआवजे की व्यवस्था करना। बंधुआ मजदूरी और कर्ज की समस्या का समाधान इत्यादि।⁹

सरकार को यदि 100 प्रतिशत कोयला, लोहा, अभ्रक, यूरेनियम, लकड़ी और इस्पात दूर-दराज के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से प्राप्त होता है जो सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है तो कम से कम इन जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों की गरीबी दूर करने का भी काम सरकार को करना चाहिए। उड़िया के सुप्रसिद्ध कवि जगन्नाथ प्रसाद दास की एक कविता स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है -

“कालाहांडी हमारे एकदम करीब है
आत्मा की सामयिक ताड़ना में
विवेक के अकरमात दंश में
अंतःकरण के पश्चाताप में
तृप्त नींद के दुःस्वप्न में

असहायता, भूख और बीमारी में
खून-खराबे की आसन्न सम्भावनाओं में
इक्कीसवीं सदी की समृद्ध सुरक्षा तक
हम कैसे पहुंच सकते हैं
कालहांडी को पीछे छोड़¹⁰

कुल 461 अनुसूचित जनजातियों वाले हमारे देश में 75 ऐसी पिछड़ी जनजातियों, की पहचान की गयी है जो 'आदिवासी समूह' के अन्तर्गत आते हैं, जिन्हें हम कम जनसंख्या, कम साक्षरता और प्राचीन कृषि तकनीकी अपनाने के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। और चिन्हित इन 75 आदिवासी समूह की अलग संस्कृति, भाषा, आवास और जीवन पद्धति के चलते हम मूल निवासियों को पहचानते हैं। लेकिन इसके इतर भी उनकी कुछ खासियत है मसलन उनका सामुदायिक जीवन पर आधारित विशिष्ट सामाजिक संगठन। बहुपत्नि विवाह। बहुपति विवाह। एक पत्नि विवाह और कहीं मातृसत्तात्मक तो कहीं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। "यूथ डॉर्मेटरी हो या क्रय विक्रय की विशिष्ट 'बार्टर' व्यवस्था जो मुनाफे पर आधारित न होकर जीवन निर्वाह की एक श्रेष्ठ पद्धति है। पहाड़, मरुस्थल, जंगल और द्वीपों के इतर बड़े-बड़े शहरों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे ये लोग हमारे पूर्वज है।"¹¹

जननांकीय दृष्टि से तो आदिवासी आज खतरे में है ही उनकी संस्कृति और रहन-सहन में भी व्यापक बदलाव देखा जा सकता है। आस्ट्रेलिया का एक ई-जर्नल अपने लोगों के सांस्कृतिक पहचान के संकट के बहस शीर्षक में समांगीकरण को एक सुखद आश्चर्य किन्तु एक बड़ा खतरा मानता है। और यह प्रश्न उठाता है कि यह समांगीकरण किस हद तक हो? क्या यह मूल निवासियों की सांस्कृतिक पहचान बचाये रख पायेगा? शायद नहीं! क्योंकि एक अंडमानी जारवा या ऑंग, शोम्पेन के लिए तो यह दुहरी मौत साबित होगा। उसकी जननांकी के लिए यह खतरा होगा यदि हम उसे हैदराबाद या दिल्ली में प्रवासी करके उसे आधुनिक बनाने लगे। उसकी भाषा, उसका रहन-सहन, उसके गीत, संगीत उनकी प्रकृति के साथ की तारतम्यता सब खो जायेगा। ये तो वाकई में अनर्थ होगा।

आदिलाबाद की आदिवासी लड़कियां जो स्कूल जाती हैं अपने घरों में अब परम्परागत पोशाक नहीं पहनती। उन्हें अपने रहन-सहन के प्रति ही एक वितृष्णा सी हो गयी है। उन्हें यदि अपने पूर्वजों की याद दिलायी जाये तो उनके अंदर एक हीन भावना की ग्रन्थि सक्रिय हो जाती है क्योंकि अब गोंड एवं कोलों के ये बच्चे आधुनिक कहलाना पसंद करते हैं। उनके घरों में टी.बी. है। ये अब आदिवासी नहीं अपितु ईसाई, हिन्दू या मुसलमान है।¹² यह सांस्कृतिक विसरणता आदिवासी अस्तित्व के संकट का द्योतक है।

fu"d"kl

भारतीय समाज विविधता भरा समाज है। इसकी बहु सांस्कृतिक और बहुभाषी जनता के अपने अलग-अलग रंग-ढंग हैं। चाहे वह यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने का मसला हो या संघीय प्रणाली को कमजोर कर एक मजबूत एकीकृत राजनैतिक प्रणाली बनाने का मसला अथवा देश की सीमा की सुरक्षा का मामला हो या आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर सेना व पुलिस को बेहतर व सक्षम बनाने की बात हो दरअसल जब तक इस विविधता को उसके मूल रूप में समझने की कोशिश नहीं होगी तब तक तमाम सारे लोग तथाकथित राष्ट्र की मुख्य धारा से अपने को कटा हुआ महसूस करते रहेंगे। ऐसे में जरूरत है एक विस्तृत और अधिक उदार दृष्टि की जो कि पृथकतावाद की आग में झुलस रहे लोगों को अधिक विकास में भागीदार बनाये। और उनके सकारात्मक भागीदारी से राष्ट्र की उन्नति हो सके।

सन्दर्भ —

1. पूंजीवादी विकास का मॉडल, रविवासरीय जनसत्ता, 13 सितम्बर 2009
2. वनाधिकार व पर्यावरण आंदोलन, रविवासरीय में अशोक चौधरी और रोमा, जनसत्ता, 13 सितम्बर 2009
3. हस्तक्षेप, राष्ट्रीय सहारा, 13 अक्टूबर, 2009
4. जी.एन. साईबाबा, हस्तक्षेप, राष्ट्रीय सहारा, 13 अक्टूबर 2009
5. रमेश शर्मा, हस्तक्षेप, राष्ट्रीय सहारा, 13 अक्टूबर 2009
6. गांधी जी, रचनात्मक कार्यक्रम, नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद 2005, पृ. 47-48
7. ससुराल से नैहर तक, जागोरी प्रकाशन नई दिल्ली 2009, पृ. 28-29
8. नदीम हसनैन, ट्राइबल इण्डिया, प्रस्तावना, पालका प्रकाशन, दिल्ली, 1991
9. रामशरण जोशी, आदिवासी समाज और शिक्षा, ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ.162-163
10. जगन्नाथ प्रसाद दास, भारतीय साहित्य एक परिचय, दिल्ली वि.वि. की पुस्तक से साभार, पृ. 262
11. नदीम हसनैन, ट्राइबल इण्डिया, प्रस्तावना, पालका प्रकाशन, दिल्ली, 1991
12. The Hindu, e-paper, Downloaded on Dated, 19 September, 2009



देश के भावी कर्णधारों पर कहर ढहाती आज की शिक्षा-परीक्षा

Hkkj r h t k s kh

किसी भी देश की प्रगति की पहली कसौटी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है, जिसकी नींव मूलतः प्राथमिक शिक्षा होती है। एक बच्चे को जन्म देने से ज्यादा मुश्किल है उसे एक अच्छा इंसान बनाना। इस प्रक्रिया में पालकों के साथ स्कूल, कॉलेज की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। क्या आज स्कूल, कॉलेज में जो शिक्षा दी जा रही है उससे सचमुच यह जिम्मेदारी पूरी हो रही है? एक अच्छा इंसान ही राष्ट्र का सच्चा नागरिक हो सकता है। अफसोस है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की तमाम कमियाँ सामने आ चुकी हैं, बावजूद इसके, उसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है। शिक्षा का काम विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और स्वावलंबन का माहौल देना है, लेकिन शिक्षा की वर्तमान दकियानूसी संस्कृति में स्कूल के बच्चे 6 से 8 घण्टे जेलों में कैद रहते हैं। शिक्षकों द्वारा दिये गए होमवर्क को करना उनकी रोज की मशीनीकृत जिंदगी बन गयी है, उनका मासूम बचपन खोता जा रहा है। लेकिन चिन्ता किसे है? आज की शिक्षा व्यवस्था में योग्यता की कसौटी है सिर्फ – परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल करना। इसके लिए एक ही फार्मूला है – ज्यादा रटना, ज्यादा लिखना। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने ज्ञान को लिखकर नहीं बता सकते बल्कि किसी अन्य तरीके या दृश्य श्रव्य माध्यम से अपनी प्रतिभा को बेहतरीन रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति में विद्यार्थियों की योग्यता परखने का वैकल्पिक माध्यम होना अत्यन्त आवश्यक है। पर आज भी विद्यार्थियों की योग्यता परिक्षण के लिए शिक्षा परीक्षा की पुरानी घिसी पिटी प्रणाली व्यवहार में है। इस प्रकार के हर तरह की परीक्षा में सिर्फ तनाव ही व्याप्त रहता है। असफल होने के डर के साथ ही साथियों के बीच इमेज बिगड़ने का डर भी बच्चों के दिल दिमाग पर छाया रहता है। पालक अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएँ रखने लगे हैं। अपने बच्चों की दूसरे बच्चों से तुलना करना, लगातार उपदेश देते रहना अभिभावकों की आदत हो गई है। इससे बच्चों में आत्महीनता की भावना और तनाव की स्थिति निर्मित होने लगती है, जिसके भयावह परिणाम हम देख ही रहे हैं। किशोरों द्वारा आत्महत्या करना अत्यधिक तनाव का ही परिणाम है। आपका बच्चा मशीन नहीं है, उसे एक अच्छा बेटा या बेटी बनने के साथ-साथ बड़े होकर अपने राष्ट्रीय दायित्वों का भी निर्वाह करना है। बच्चे की अन्तर्निहित प्रतिभा को निखारना पालकों, अध्यापकों और शिक्षा प्रणाली का दायित्व है न कि उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाना। हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? इस शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? यदि इस तरह के प्रश्न मासूमों पर दबाव डालने वाले पालकों, अध्यापकों से पूछे जाय तो वे बगलें झाकने लगेंगे। देश की शिक्षा प्रणाली आज भी प्रायोगिक दौर से गुजर रही है। देश में 10 करोड़ से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। परीक्षा और

परिणाम के समय लगभग 15 हजार विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। देश के भावी कर्णधारों की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हमारा पूरा तथाकथित सभ्य समाज है। आज आवश्यकता बच्चों को सीखने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा पारम्परिक शिक्षा-परीक्षाओं में निम्नांकित सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि देश के भावी कर्णधारों का नैसर्गिक विकास हो सके और वे बुलन्द भारत की बुलन्द तस्वीर बन सकें।

1. सर्वप्रथम पालकों को चाहिए कि अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर नहीं थोपे। बच्चा यदि तनाव में परीक्षा देगा तो परिणाम कैसे अच्छा हो सकता है? ऐसे माहौल में तो उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाएगा। अपने बच्चों की क्षमता का आकलन कर ही परिणाम की अपेक्षा कीजिए।
2. परीक्षा के बहुत दिनों पहले से ही बच्चों के खेलकूद, घूमने फिरने पर प्रतिबन्ध मेरे विचार से ठीक नहीं है। 'तुम्हे स्कूल में प्रथम आना है!', मेरिट में आओगे तभी तुम्हारी पसंद की चीज मिलेगी' तुम घूमने तब जा सकते हो जब तुम्हे 90 प्रतिशत अंक आयेंगे', देखो फलाना बच्चा पढ़ने में कितना अच्छा है, उसकी तरह बन कर बताओ' पालकों की इस तरह की बातें बच्चे में बेवजह तनाव निर्मित करती है।
3. पालकों को चाहिए कि घर का माहौल खुशनुमा और तनाव रहित रखें। बच्चे पर घरेलू कामों के लिए दबाव नहीं बनाए। मित्रों, रिश्तेदारों के आने पर अतिथि सत्कार के लिए बच्चों को नहीं दौड़ाए और न ही मेहमानों से घंटों वार्तालाप करें बल्कि बच्चों की पढ़ाई में पूरी मदद करें। सकारात्मक वार्तालाप द्वारा बच्चों के आत्म विश्वास को बनाए रखें।
4. बच्चे को 'दोर', 'गंवार', 'फिसड्डी', जैसी उपमाओं से सुसज्जित नहीं करें। आखिर वह आपका ही बच्चा है। अप्रत्यक्ष रूप से ये शब्द आप अपने लिए ही उपयोग कर रहे हैं।
5. पालक समझे कि अध्ययन का उद्देश्य उच्च अंक लाना ही नहीं है बल्कि बच्चे में आत्मविश्वास, समझ, और नैतिक गुणों का विकास करना भी है। अफसोस आजकल अधिकांश पालक स्वयं ही शिक्षा की मूलभूत बातों से कोसों दूर हैं। वे न सिर्फ स्वयं अपने पढ़ोसी से प्रतियोगिता कर रहे हैं बल्कि अपने बच्चे में भी इस तरह की तनाव देने वाले विचारों का बीजारोपण कर रहे हैं।
6. शिक्षाविदों का प्रमुख दायित्व है कि विद्यार्थियों और उनके पालकों को उन में बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव से निजात दिलाए इसके लिए पारम्परिक परीक्षा पद्धति में सुधार लाने की जरूरत है। इसके लिए प्रश्नपत्र के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। रटने की क्षमता के स्थान पर तर्कशक्ति और रचनात्मक क्षमताओं को बच्चों की प्रतिभा के आकलन का आधार बनाया जाए।
7. पेपरलेस परीक्षा की दिशा में तेजी से शोध होने की जरूरत है इससे न केवल परीक्षा की बोरींग प्रणाली से छूटकारा मिलेगा बल्कि पर्यावरण बचाने के प्रयास भी सशक्त होंगे।

-
8. परीक्षा परिणामों को वर्ष भर की अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाना चाहिए। पास और फेल में श्रेणीबद्ध करने के स्थान पर ऐसी रणनीति खोजी जाए जो विद्यार्थियों को अलग अलग स्तर की उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए प्रेरित कर सके।
 9. वर्तमान में 'इंटरनेट' जैसी सुविधा मिल जाने से विद्यार्थियों को 'ग्लोबल' बनाने के प्रयास तो तेज हुए हैं किन्तु आज का विद्यार्थी 'ग्लोबल' के चक्कर में 'लोकल' से दूर होता जा रहा है। माना कि 'ग्लोबल' होना आज की जरूरत है, किन्तु नींव तो 'लोकल' ही है। अतः विद्यार्थियों को जनकल्याण, सामाजिक, रचनात्मक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
 10. योग, व्यायाम, जलसंरक्षण, प्रदुषण नियन्त्रण, खेलकूद जैसी गतिविधियों में सश्रम प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित करने से परीक्षा व परिणाम के मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
 11. शिक्षकों का कार्य सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा कराना और परीक्षा के समर के लिए तैयार करना ही नहीं है बल्कि विद्यार्थियों में उत्सुकता का विकास करना और उसकी हर तरह की समस्या का समाधान कर उचित मार्गदर्शन देना भी है।

हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा सिर्फ हमारी धरोहर नहीं है बल्कि देश का भावी होनहार नागरिक भी है। इसीलिए उस पर विशेष ध्यान देना पालकों, अध्यापकों और समाज का प्रमुख दायित्व बनता है। अगर बच्चे का वर्तमान अच्छा होगा तो देश का भविष्य भी खुशहाल एवं सशक्त होगा।



Address to the nation by the President of India Smt. Pratibha Devisingh Patil on the eve of the 64th Independence Day

My Fellow Citizens,

On the eve of our 64th Independence Day, I extend my warmest greetings to all of you from all walks of life, living in India and overseas. I convey special greetings to the brave personnel of our Armed Forces and the Para-military forces who guard our frontiers and to our Central and State police, as well as our internal security forces. I also compliment every citizen of this country whose hard work, productive prowess and enterprising zeal have put India among the front ranks of the nations of the world. I convey my heartfelt condolences to all those who have lost their loved ones, suffered injuries and whose properties have been destroyed in the recent cloud burst in Leh.

Dear Citizens,

Every year, we celebrate our Independence Day with great fervor as well as joy and justifiably so, as it commemorates that day, when after many years of subjugation, our country gained its freedom. Indeed, in the annals of history, 15th of August 1947 will always be remembered as a day of an extraordinary accomplishment, of when India won its freedom with unparalleled fortitude and unique means. Under the leadership of Mahatma Gandhi, our movement for attaining freedom through Ahimsa and Satyagraha spread throughout the country, inspiring people in a manner rarely seen. Millions and millions of our men and women, willingly and enthusiastically responded to his call. They united to become an immense force that defeated the mightiest colonial power. Free India, was thus born.

As citizens of free India, we must reflect on the values and principles which were in the minds and hearts of those who fought and sacrificed for our freedom. They drew inspiration from the values nurtured in the country through millennia. Pandit Jawaharlal Nehru once described Gandhiji as, "embodying the old spirit of India, who held aloft the torch of freedom". Gandhiji's thoughts and his life were truly an expression of the philosophy of our ancient civilization in which peace and harmony, non-violence and truth, human dignity and compassion were given great prominence. Are we now forgetting these principles? Are we overlooking them? No, we should not. These are eternal values, which have sustained our nation, our society and also each one of us as individuals. Gandhiji's thinking continues to have deep influence and is of increasing relevance in the world, with 2nd October, his birthday, being observed every year as the International Day of Non-Violence.

Dear Citizens,

We are at a historic phase when the world is shifting course. It is impacting our economy, polity, trade, commerce, education and pace of life. In this era of transformation, India definitely cannot lag behind. Our entire effort must be to ensure that there is overall development in which all people prosper. However, can our political approaches, economic progress and scientific advances be combined with values of human welfare, tolerance, mutual respect and selflessness propounded by learned men, leaders, philosophers and thinkers of our country? Our past and our future are linked. The future beckons us and the past guides us.

What has been our past? India, a mature and a harmonious society, had a rich tradition of learning and a philosophy based on experiences and knowledge of thousands of years. Swami Vivekananda spoke of India as, "the ancient land, where wisdom made its home before it went

into any other country". Ours is a land where religions have taken birth and all religions of the world have found a place. Ours is a land where different languages, cultures and customs flourished. So well known was India for its piety, scholarship and centres of study, that it attracted travellers from across the world. From early times, India always looked at progress and moral growth as mutually inclusive rather than mutually exclusive concepts. India's depth of thought was matched by its material prosperity. Its fine goods, its spices, its silk, its cotton, were much sought after. India's traders went to distant lands both to the East and the West, carrying with them not only goods from India, but also its reputation as a land of great culture and wealth.

We are the inheritors of this great civilization whose legacy has been passed on from generation to generation. We can be worthy heirs if we follow, in the true sense, the ideals of political, social and economic justice. Lip service will not do. We have to be ardent adherents. We are also duty-bound to pass on this rich inheritance to our younger generation - the 540 million youth. We place great hope on them and rightly so. They have been demonstrating their capabilities and strengths in various fields of human activity in India and abroad. Whether in multi-national business enterprises or the IT industry or financial organizations or global scientific bodies, young Indians are joining their ranks and making their mark. In sports, they have been bringing laurels to the country. Our youth are the architects of the nation's future. We must educate them and inculcate in them a spirit of sacrifice, dedication, patriotism and service to the nation. This way, they would be ready to face the future with confidence and build on the achievements made so far.

Dear Citizens,

Where does our country stand today? Our credentials as the world's largest democracy have been further reinforced with the deepening of democracy at all levels. We have elected bodies existing from the national to the grassroot level. Democracy has given citizens the right to participate in the affairs of the nation. It has become a way of life in India. On the economic front, we are ranked as the world's fourth largest economy based on purchasing power parity and one of the fastest growing. The resilience of our economy was evident during the global financial crisis which we weathered, better than many other countries. The future holds great potential and promise. However, many issues demand attention and the way we address them is important.

Foremost, among our tasks is to ensure the welfare of all. It is for this reason that India has adopted inclusive growth as a pillar of its economic edifice and is pro-actively pursuing it. Our task will be complete only when no one sleeps on a hungry stomach, when no one sleeps on the footpath and when every child is in school. Therefore, fittingly, education, capacity building, housing, healthcare and nutrition are a priority on the agenda of the Government. All of us should also pause to think how as responsible citizens, each one of us can contribute to Government efforts in these areas. It is a huge task to be achieved for a billion plus population, but we should not be overwhelmed. In every village and in every colony of every town, city or metropolis, people can come forward to form groups to work for the disadvantaged. Some amongst us may ask, what difference can these small efforts make? For them, I recall a story of a man walking down a beach, moments after a storm. He noticed a person ahead of him picking up starfish washed ashore and throwing them back into the sea. He asked the person how his efforts could make any difference, as the beach was long and there were lakhs of starfish washed ashore who would die. The person looked at the starfish in his hand and threw it into the water saying, "it makes a difference to this one". The message is clear - every effort, big or small, does make a difference.

Dear Citizens,

I believe that empowerment through education is important as it opens many doors of

opportunity. The Right to Education Act has made free and compulsory primary education for children a fundamental right. It is important that secondary education is also universalized, as we seek to increase enrollment levels in higher education. This will provide the "brain power" for the nation. We are living in an age where innovation is shaping many areas of human activity. New technologies can enhance our agriculture and industrial productivity. Efficient technologies can facilitate the optimum utilization of capital, labour and resources. We have seen the impact of mobile telephone connectivity even in our villages. Innovation and invention were always given weightage as agents of change but perhaps never as high as now. The categorization of nations as rich and poor, developed and developing may well be overtaken by a new definition of those nations that innovate rapidly, as opposed to those which do so on a lower scale. To be in the forefront of cutting edge technologies, research and development in all fields must be encouraged and pursued in the country.

We must also speed up the construction of physical infrastructure. We need new roads, ports, airports, power projects as well as reinforcement of existing facilities. The augmentation will fill the infrastructural deficit that impedes overall economic growth and is, in many ways, out of sync with our image of an emerging global player.

Our industries must continue to grow. Indian companies should persist with efforts to be efficient and globally competitive. Some are already making their presence felt overseas. Our agriculture requires a fresh perspective, with new and radical ideas to steer it towards a second Green Revolution, so that agriculture production, productivity and profitability are increased. This is essential for our food security as well as price stabilization. At the same time, agriculture cannot be looked at in isolation. It needs to be connected with other sectors of the economy. Linking industry with agriculture would provide a basis for growth of industry in the rural areas and also promote agriculture business. Models of farming which give economies of scale, while protecting the interests of the farmer must be explored. Efficient distribution networks that link farmers with the consumers should be encouraged, so as to bring greater remuneration to farmers for their produce, while giving a price advantage to the consumer. Value addition on-site will generate employment and income opportunities for the local population. Support to the rural poor and farm labour through skill development, vocational training and social welfare programmes, must be a priority. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is an important mechanism for providing livelihood. If specific local conditions are taken into account in its implementation and innovative approaches for convergence of various Government schemes encouraged, rural growth will be greatly enhanced. For example, agricultural productivity in rain fed areas can be increased with improved farm practices as well as conservation of soil and water, with the construction of farm ponds and village tanks and their proper upkeep and de-silting. Undertaking such activities in a coordinated manner can make a meaningful difference.

However, achievement of goals and targets is dependent on an effective governance structure. Powers have been given to those in Government for formulating policies and for implementation on the field. It should always be remembered that this power must be used in a responsible manner. Zero tolerance towards corruption and working with the highest standards of public service will definitely result in efficient governance systems and will have a multiplier effect on development and growth.

Dear Citizens,

We must be law abiding and also work for moral upliftment. I mention this because with an increasing emphasis on materialism, there is growing insensitivity towards each other. Strong family bonds are weakening. Social consciousness is on the decline. Some social evils persist. This must change. Today is the best opportunity when ground-breaking achievements alongwith a moral and ethical renaissance can take place. In this way, progress would be anchored in values of compassion, tolerance and selfless service, which are important for

making human life meaningful and purposeful. These values will make our multi-cultural, multi-religious, multi-lingual society more robust. They will also give us a strong base on which a stable structure of prosperity and progress can be raised. For example, as a kite surges high into the sky, it is affected by the breeze and the clouds. If the string is firm and skillfully handled, the kite will stay afloat, otherwise it can go adrift, be cut off, fall and be destroyed. The kite is much like our growth voyage with the string and the firmness with which it is handled, representing the ethical base. India is the abode of infinite values - let us strive to restore these as we go along the path of progress.

Tomorrow's India will be constructed by the hard work of today. I call on all citizens to contribute to making the future of the nation, stronger and brighter. Let everyone understand their role and responsibility to achieve this. As I said earlier, every effort counts. Nation building demands the ability to work diligently and patiently, where the reward is the growth of the nation rather than personal promotion. It requires unity of purpose and the ability to focus on issues which unite. It requires a spirit of conciliation. This is possible when dialogue is chosen as the channel for communication. By listening to each other, respecting each other's viewpoint and understanding one another, we can address issues before us. The proponents of extreme ideologies and the followers of Left Wing Extremism must abandon their path of violence. I call on them to join national efforts for growth and development. I hope that everybody, including the civil society will come forward and move them in this direction. Protracted development efforts will be needed in these areas.

Dear Citizens,

India's growth and progress will take place in an environment that is also influenced by global events. We believe that peace is essential, if prosperity is to be achieved. Terrorism poses the biggest threat to global peace, stability and security. To defeat it, all nations of the world must work collectively, so that terrorists have no sanctuaries, no training grounds, no access to financial resources, no infrastructural support, and no defenders of their ideology. Violence and hatred can have no place in the world. Indeed, the interests that we share as human beings are far more powerful than forces which are divisive. Across the world, the message of peace and not of destruction must spread, if this Century powered by the most rapid advances in science and technology, is to be the Century of the most spectacular gains made by humankind, accompanied with human values. I am confident that India will contribute substantially to the forward march of the human race.

The human spirit has a tremendous capacity to reach new horizons. With faith in ourselves, faith in our capacity to work together and faith in success, we will continue our journey. We have the talent, to create a great nation; and with our collective will and hard work we will do so. And as we progress and as our flag proudly flutters, like it will tomorrow on Independence Day, we can with pride cite the lines of a well known Indian poet,

गगन-गगन तेरा यश फहरा,
पवन-पवन तेरा बल गहरा।

Which means:-

Across the skies your fame has spread,
with every breeze your strength grows.

With these words, I once again wish all Fellow Citizens peace, prosperity and progress on the occasion of Independence Day.

Jai Hind."

हमारे लेखक

, - , u fl g]

विभागाध्यक्ष,
समाज कार्य विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ
(उत्तरप्रदेश)

एवं

jktsk dek]

सीतापुर रोड़,
लखनऊ
(उत्तरप्रदेश)

भारती जोशी,

सहायक संचालक
आजीवन शिक्षण विभाग
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
(मध्य प्रदेश)

रामशंकर चंचल

मं. 145, गोपाल कॉलोनी
झाबुआ – 457661
(मध्य प्रदेश)

अशोक प्रताप सिंह

शोध छात्र (शिक्षा संकाय)
कुमौऊ विश्वविद्यालय परिसर, अल्मोड़ा
(उत्तराखंड)

राम प्रताप यादव

शोध छात्र – राजनीति शास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
म.न. 499/130, हसनगंज
डालीगंज, लखनऊ – 226020
(उत्तर प्रदेश)

Hkkj rh; i k&+ f' k{kk | &k

dk; ðkfj . kh | fefr

संरक्षक

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

अध्यक्ष

श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष

श्रीमती राजश्री बिस्वास

प्रो. ए.एच. खान

प्रो. अरुण मिश्रा

डा. एल. राजा

प्रो. एस.वाई. शाह

महासचिव

डॉ. मदन सिंह

कोषाध्यक्ष

डा. मनोहर सिंह राणावत

संयुक्त सचिव

श्री ए.एल. भार्गव

सह—सचिव

श्री सुधीर चटर्जी

श्री प्रफुल्ल नागर

डॉ. पी.ए. रेड्डी

डॉ. निर्मला नुवाल

सदस्य

श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सुश्री कुन्दा सुपेकर

श्रीमती सुरेखा खोत

प्रो. सुशीले गौडा

डॉ. मफतलाल पटेल

प्रो. वी. रेघु

डॉ. एस.एल. शर्मा

डॉ. ओ.पी.एम. त्रिपाठी

सहयोजित सदस्य

श्री एच.सी. पारीख

प्रो. सुरेन्द्र सिंह

सुश्री निशात फारूख

श्री हरीश कुमार एस.

श्री सुरेश चन्द्र खण्डेलवाल

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं० डी.एल.(सी)-01/1158/10-12

प्रौढ शिक्षा अगस्त 2010, आर.एन.आई 4551/57



**“What this world wants today,
more than it ever did before,
is strength.”**

- Swami Vivekanand

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ के लिए महासचिव डा. मदन सिंह द्वारा
17-बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स-
ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली-2 से मुद्रित।

वर्ष 54 अंक 1

एक प्रति 10 रूपये
अगस्त 2010

प्रौढ शिक्षा

प्रौढ, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र



भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ